



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM - 'D'
REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 596

Indore, Dated 25.04.2022

प्रति,

श्री सुनील शर्मा पिता श्री आर.सी.शर्मा (एडव्होकेट),
पता— 211, मिनलश्री अपार्टमेन्ट, 19/1 व्हाय. एन. रोड
जिला—इन्दौर —452011 (म.प्र.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्ति बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र Form-A दिनांक—07/02/2022 लोक सूचना अधिकारी, जबलपुर आई.डी.क्र.81/2022 दिनांक 07/02/2022, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर आवक क्र.707 दिनांक 02/03/2022 लोक सूचना अधिकारी, इन्दौर के कक्ष में प्राप्ति दिनांक 02/03/2022 & marked Id. No. 14/2022.


आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :-

“1. copy of rules of mention memo we have filed mention sleep on 04.02.2022 for list the MCRC 3340/2022 for hearing Admission and Stay on 07.02.2022, you have allowed the mention but MCRC has listed on 30.03.2022 what is the reason to not to list MCRC on 07.02.2022 Because stay application is pending please define as per schedule”

1. उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :-

(i) आप श्री सुनील शर्मा पिता श्री आर.सी.शर्मा (एडव्होकेट) को चार पृष्ठों की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना शुल्क राशि रुपये 20/- जिला कोषालय में शीर्ष 0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें अन्तर्गत चालान से जमा कर, चालान की एक प्रति या उक्त राशि का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प लोक सूचना अधिकारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर जमा कर चार पृष्ठों की जानकारी (दस्तावेज़) प्राप्त करने हेतु MEMO No.RTIA/JR(M)/HCIND/818 इन्दौर दिनांक 09/03/2022 के माध्यम से आपको सूचित किया गया था परन्तु आप श्री सुनील शर्मा की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई तत्पश्चात Notice for Depositing Information Cost No. 1061 इन्दौर दिनांक 05/04/2022 के माध्यम से आपको अंतिम रूप से सूचना शुल्क इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस में लिखा गया था परन्तु पुनः आपकी ओर से कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई अतः आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन नस्तीबद्ध किया जाता है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार अपीलीय अधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार — न्यायिक), म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(राजेश कुमार शर्मा)

लोक सूचना अधिकारी/ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम)
म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)— 2528555/2527808




निरन्तर...2 पर

(2)

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 597

Indore, Dated 25.04.2022

Copy forwarded to : The Registrar (J-I) cum SPIO, High Court of M.P. Jabalpur for kind information.



(राजेश कुमार शर्मा)

लोक सूचना अधिकारी / ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम)
म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर
दूरभाष क्रमांक (कार्यालय) - 2528555/2527808

